

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ०-01/स्था०क्ष०-329/2026-

पटना, दिनांक सितम्बर, 2026

कार्यालय आदेश

सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज के पत्रांक-92/ई०का दिनांक-18.02.2026 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री रोहित कुमार, कार्यालय परिचारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज के द्वारा दिनांक-11.02.2026 को नशे का सेवन कर सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज के वाहन चालक एवं अन्य कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया जिसके कारण सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज के पत्रांक-82 दिनांक-11.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। पुनः दिनांक-16.02.2026 को अपने मोबाईल नं०-8294545911 से कार्यालय के प्रधान लिपिक श्री विनय कुमार सिंह को रात्रि समय 09:00 बजे अपराह्न से 09:30 बजे अपराह्न तक गाली-गलौज की गई तथा रात्रि को लगभग 09:45 अपराह्न में उनके कमरे पर आकर धमकी दिया गया। पुनः दिनांक-17.02.2026 को समय 10:00 बजे पूर्वाह्न में श्री सिंह के कमरे पर जाकर धमकी दिया गया एवं कार्यालय में आकर सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज के समक्ष भी दुर्व्यवहार किया गया। जिसके बाद पुलिस हेल्पलाइन नं० 112 पर फोन कर सूचित किया गया।

2. दिनांक-17.02.2026 को पुलिस द्वारा श्री रोहित कुमार, कार्यालय परिचारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया तथा इनके विरुद्ध Gopalganj Town P-S case No. 164/26, dt-17/02/26, U/S-37 Bihar prohibition Liquid & Excise Amendment Act-2022. द्वारा केस दर्ज किया गया, जिसके आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-483 दिनांक-27.02.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली), 2005, समय-समय पर यथासंशोधित के नियम-9 (1)(ग) एवं 9 (2)(क) के तहत श्री रोहित कुमार, कार्यालय परिचारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज को पुलिस हिरासत में लिये गये तिथि-17.02.2026 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-598 दिनांक-18.03.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, समय-समय पर यथासंशोधित के नियम-9 (3)(i) के आलोक में श्री रोहित कुमार, कार्यालय परिचारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज को दिनांक-25.02.2026 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया तथा उनके द्वारा समर्पित योगदान को दिनांक-25.02.2026 के पूर्वाह्न से स्वीकृत किया गया।

4. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-599 दिनांक-18.03.2026 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 समय-समय पर यथासंशोधित के नियम-9 (3)(ii) के आलोक में श्री रोहित कुमार, कार्यालय परिचारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-678 दिनांक-10.04.2026 द्वारा श्री अरुण कुमार, अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

5. उक्त विभागीय कार्यवाही की अंतिम सुनवाई संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनांक-22.06.2026 में सम्पन्न होने के फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-1160/ई०का० दिनांक-30.06.2026 द्वारा श्री रोहित कुमार, निलंबित कार्यालय परिचारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज निर्धारित मुख्यालय गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 समय-समय पर यथासंशोधित के नियम-9 (3)(i) के आलोक में उनके विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई यथावत् रखते हुए निलंबन से मुक्त करते हुए उनको ईख पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में पदस्थापित किया गया ।

6. अवर सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1270 दिनांक-02.07.2026 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या-1, 2 एवं 3 को अंशतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या-5 एवं 6 को अप्रमाणित एवं आरोप संख्या-04 शराब पीने के अपराध के लिए माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश का प्रतीक्षा करने का मंतव्य दिया गया है ।

7. विभागीय पत्रांक-1527 दिनांक-10.08.2026 द्वारा अंशतः प्रमाणित तीन आरोपों के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-18(3) के तहत लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग श्री रोहित कुमार, कार्यालय परिचारी से किया गया ।

8. आरोपी श्री रोहित कुमार, कार्यालय परिचारी द्वारा दिनांक-14.08.2026 को दो लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है । ।

(i) प्रथम आवेदन के माध्यम से श्री कुमार द्वारा लिखित अभ्यावेदन तैयार करने हेतु सरकारी खर्चे पर एक वकील उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-17(8)(क) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की सुनवाई के क्रम में आरोपी को मामला पस्तुत करने के लिए अपने मुख्यालय या जहाँ जाँच चल रही हो उस स्थान पर किसी

कार्यालय में पदस्थापित अन्य सरकारी सेवक की सहायता लेने का प्रावधान किया गया है। उक्त नियम के परन्तुक द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार की अनुमति से अन्य स्थान पर पदस्थापित किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता लेने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उक्त नियम के परन्तुक में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के विधि व्यवसायी होने की स्थिति में आरोपी को अपने निजी खर्चे पर विधि व्यवसायी (वकील) रखने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उक्त नियमावली के नियम-17(8)(ख) में सरकार के विशेष आदेश से आरोपी को किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की सहायता लेने का प्रावधान किया गया है।

परन्तु प्रश्नगत मामला बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-18(3) के तहत लिखित अभ्यावेदन से संबंधित है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली में लिखित अभ्यावेदन हेतु सरकारी खर्चे पर वकील उपलब्ध कराने संबंधी किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है।

अतएव सरकारी खर्चे पर वकील उपलब्ध कराने का अनुरोध संबंधी श्री कुमार के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

(ii) द्वितीय लिखित अभ्यावेदन में श्री कुमार द्वारा विभागीय कार्यवाही की सुनवाई के दौरान समर्पित बचाव वयान में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया है, जिसके आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। श्री कुमार द्वारा लिखित अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है।

9. अतएव श्री कुमार के द्वारा दिनांक-14.08.2026 को समर्पित दोनों लिखित अभ्यावेदनों को अस्वीकृत करते हुए आंशिक रूप से प्रमाणित पाए गए तीन आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 समय-समय पर यथा संशोधित के अंतर्गत निहित प्रावधान के आलोक में निम्न दंड संसूचित किया जाता है:-

(क) “चेतावनी”, जिसकी प्रविष्टि श्री कुमार के चरित्रपुस्त में की जाएगी।

(ख) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-11 के अन्तर्गत प्रावधान के आलोक में श्री कुमार के हिरासत में रहने के अवधि (दिनांक-17.02.2026 से 24.02.2026) में निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में गोपालगंज थाना कोड नं०-164/26 दिनांक-17.02.2026 में माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के फलस्वरूप के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(ग) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-11(5) के अन्तर्गत प्रावधान के आलोक में श्री कुमार के निलंबन अवधि (दिनांक-18.03.2026 से 29.06.2026 तक) के विनियमन के संबंध में अलग से कारण पृच्छा (नोटिस तामिला) कर निर्णय लिया जायेगा।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्था०क्षे०-329/2026-

पटना, दिनांक सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज/ईख पदाधिकारी, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/श्री रोहित कुमार, कार्यालय परिचारी, कार्यालय-ईख पदाधिकारी, गोपालगंज/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्था०क्षे०-329/2026- 1855

पटना, दिनांक 23 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rare.  
22/09/26.

सरकार के अवर सचिव।